नगर निगम प्रयागराज में कार्यरत
उमेश कुमार सिंह S/o स्व० लाल बहादुर सिंह और
मुकेश कुमार सिंह S/o स्व० लाल बहादुर सिंह
जो कि दोनों नगर निगम प्रयागराज में
दिनांक- 30-4-2025 को कार्यालय मे
उपस्थित थे या अनुपस्थित थे यदि अनुपस्थित
थे तो किस कारण अनुपस्थित थे कारण
बताएँ अथवा उपस्थिती रजिस्टर की एक
फोटो कापी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CANCELLED

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accompanied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
30/9/2024 तीस सितम्बर सन् 2024	30/9/2024 तीस सितम्बर सन् 2024	30/9/2024 तीस सितम्बर सन् 2024	[signature] 30/9/24

न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज (सी०डि०) कोर्ट नं० 1 मीरजापुर

30 मु० नं० 404/2024 सन् 2024

30/09/24 इन्द्रदेव यादव बनाम उमेश कुमार यादव आदि

अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 I.P.C.

थाना - चील्ह - मीरजापुर

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

[signature] (नकल आदेश दिनांक - 11/09/2024 संलग्न है)

न्यायालय श्रीमान् अपर सिविल जज (सी0डि0) कोर्ट नं0–2 महोदय, मीरजापुर

परिवाद सं0– सन् 2024

इन्द्रदेव यादव बनाम उमेश कुमार यादव वगै0

घटना दिनांक, समय व स्थान	नाम पता परिवादी	नाम पता विपक्षी	अपराध अ0धारा	थाना व जिला	प्रार्थना
दि0 31.03.2024 समय करीब 3.00 बज़े शाम ग्राम चील्ह, थाना–चील्ह, जनपद मीरजापुर	इन्द्रदेव यादव उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र 'खट्टन' प्रसाद यादव निवासी ग्राम चील्ह, थाना –चील्ह, जनपद मीरजापुर।	1. उमेश कुमार यादव उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र स्व0 लाल बहादुर यादव 2. मुकेश कुमार यादव उम्र लगभग वर्ष पुत्र स्व0 लाल बहादुर यादव निवासीगण ग्राम चील्ह, थाना–चील्ह, जनपद मीरजापुर 3. सदीप कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र सुबाष निवासी ग्राम गोरी टेढ़वा, थाना चील्ह, जिला मीरजापुर	323, 504, 506, 452, 497 आई0पी0सी0	कोतवाली चील्ह, जिला मीरजापुर	श्रीमान् जी, जांचोपरान्त विपक्षीगण को तलब कर दण्डित करने की कृपा की जावें।

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी शरीफ परिवार का इज्जतदार व्यक्ति है। प्रार्थी की शादी वर्ष 2021 ई0 में प्रियंका के साथ हुआ है। विपक्षी हम प्रार्थी का चचेरा साढू है और सफाई कर्मी है। उक्त विपक्षी हम प्रार्थी की पत्नी से रात्रि में घण्टो–घटो फोन पर बता करता है। प्रार्थी जब अपनी पत्नी को विपक्षी से बात करने पर मना करता है तो उक्त विपक्षी हम प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देता है और जान से मारने की धमकी भी देता है।

इन्द्रदेव यादव

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट नं0–2 मिर्जापुर।

इन्द्रदेव यादव................... बनाम ....उमेश कुमार यादव आदि

प्रकीर्णवाद संख्या–404/2024

थाना– चील्ह, जनपद मिर्जापुर।

<u>दिनांक: 12–08–2024</u>

पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर पूर्व में सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में अभिकथित किया गया है कि परिवादी की शादी वर्ष 2021 में प्रियंका के साथ हुआ है। विपक्षी उमेश हम परिवादी का चचेरा सादू है और सफाई कर्मी है। उक्त विपक्षी परिवादी की पत्नी से रात्रि में घण्टो–घण्टो फोन पर बात करता है। परिवादी जब अपनी पत्नी को विपक्षी से बात करने पर मना करता है तो उक्त विपक्षी परिवादी को भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। दिनांक 31–03–2024 को समय लगभग 3 बजे शाम को उक्त विपक्षी अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आया और घर में घुस कर परिवादी को भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देने लगा। परिवादी ने गाली गुप्ता देने से मना किया तो विपक्षीगण उमेश कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव व संदीप कुमार परिवादी को लात घूँसे से मारने पीटने लगे। परिवादी के शोर पर परिवादी के माता– पिता बीच बचाव किये। उक्त विपक्षीगण ने धमकी दिया कि इस बार तो बच गये अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। विपक्षी उमेश कुमार यादव, मेरी पत्नी को पैसा का लालच देकर अपने वश में किया है। विपक्षी उमेश कुमार यादव एवं परिवादी की पत्नी के बीच अवैध सम्बन्ध है। दिनांक–31–03–2024 को विपक्षी, परिवादी की पत्नी को मोटरसाईकिल पर बैठाकर अपने घर लिवा गया और आज भी मेरी पत्नी विपक्षी के सथ रह रही है और उसी के साथ घुम रही है। विपक्षी ने परिवादी की पत्नी को बहला फुसला कर अपने साथ रखा है और धमकी दे रहा है कि तुम्हे तथा तुम्हारे पूरे परिवार को दहेज के फर्जी मुकदमें में फंसाकर जिन्दगी बर्बाद कर दूंगा। परिवादी ने उक्त घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर जरिए रजिस्ट्री पार्थना पत्र दिनांक–18–4–2024 को दिया, लीकिन विपक्षीगण के विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को प्रेषित पत्र की छाया प्रति, रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है।

परिवादी इन्द्रदेव यादव द्वारा स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0संहिता अंकित कराते हुये यह कथन किया गया है कि " दिनांक–21–6–2021 को मेरी शादी प्रियंका से हुई। विपक्षी उमेश कुमार मेरे बीबी का चचेरा जीजा है। मेरी बीबी उससे घण्टो फोन पर बाते करती है और मना करने पर मानती नही और विपक्षी उमेश मुझे भद्दी–भद्दी गाली देता है। दिनांक–31–03–2024 को समय 3 बजे शाम को सभी विपक्षी मेरे घर आये मुझे गाली देने लगे, मुझे मारा पीटा भी और मेरी पत्नी को लेकर चले गये। जान से मारने की धमकी भी दिये। थाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी।" साक्षी द्वारा अपने बयान धारा–200 दं0प्र0सं0 में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध परिवादपत्र, परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 का बयान तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू–1 खट्टन प्रसाद व पी0डब्लू0–02 बैरागी के बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0सं0 में परिवादी के कथनो का समर्थन किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण उमेश कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव व संदीप कुमार द्वारा परिवादी को गाली–गुप्ता देते हुये मारने–पीटने व जान से मारने की धमकी देने का

मामला प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। जिससे विपक्षीगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0संहिता के अन्तर्गत तलब किये जाने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त है।

आदेश

विपक्षीगण उमेश कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव व संदीप कुमार को अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0संहिता में विचारण हेतु सम्मन किया जाता है। सूची गवाहान व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य अन्दर सप्ताह दाखिल हो। परिवादी धारा 204 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक 11.09.2024 को पेश हो।

(पल्लवी सिंह)
अपर सिविल जज (सी0डि0)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट न0–2, मिर्जापुर
ID-UP2328

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय–मीरजापुर

जनपद एवं सत्र न्यायालय मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

11/9/24

15/10/24